


रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/परीक्षा/2022/1457

जबलपुर दिनांक 27/12/2022

अधिसूचना -

अधिसूचित है कि म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र 874/88/सी.सी./22/38 दिनांक 4/11/2022 के परिपालन में विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में सत्र 2021-22 से नवीन अकादमिक संरचना लागू की गई है। सत्र 2021-22 के पूर्व वार्षिक पद्धति से स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश देने हेतु म.प्र. शासन उच्च विभाग के पत्र का परिपालन करना सुनिश्चित करें।

टीप - म0प्र0 शासन का पत्र संलग्न।

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक 27/12/22

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ0 क्रमांक/परीक्षा/2022/1457अ"

जबलपुर दिनांक 27/12/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्राचार्य समस्त महाविद्यालय संबद्ध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
2. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. प्रभारी नोडल अधिकारी आनलाईन सेल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर इस निवेदन के साथ कि वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
7. कुलपति जी/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक 874/88/सी.सी./22/38
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04.11.2022

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।


विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन के पूर्व में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष /
सेमेस्टर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अध्यादेश 14 A तथा 14 B की अकादमिक संरचना
अनुसार नियमित अध्ययन की व्यवस्था विषयक।

--0--

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा
अकादमिक सत्र 2021-22 से नवीन अकादमिक संरचना लागू की गयी है। विभाग के समक्ष यह
प्रश्न उद्भूत हुआ है कि सत्र 2021-22 के पूर्व की पद्धति से स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने
वाले वैसे विद्यार्थी जिनके अध्ययन में टूट हुआ है, उन्हें नवीन अकादमिक संरचना में किस प्रकार से
नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार की समस्या तब भी उत्पन्न होगी
जब कोई विद्यार्थी अन्य संस्था से उत्तीर्ण होकर मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश
लेगें। मूल प्रश्न यह है कि यदि कोई विद्यार्थी भिन्न अकादमिक संरचना से उत्तीर्ण है तब उसे
अध्यादेश 14 A तथा 14 B द्वारा निर्धारित नवीन अकादमिक संरचना के अन्तर्गत किस प्रक्रिया से
नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित किया जाए। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए
जाते हैं:-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन (सत्र 2021-22) के पूर्व स्नातक प्रथम एवं
द्वितीय वर्ष वार्षिक पद्धति से उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय
वर्ष तथा सेमेस्टर पद्धति से द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को क्रमशः
तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश प्रदान किया जाए। नियमित प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का

2021


27/12/22


अध्यादेश 14 A /14 B अनुसार शिक्षण एवं परीक्षा आयोजन किया जाए। स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पुरानी पद्धति से आयोजित की जाए।

2. सत्र 2021-22 के पूर्व वार्षिक पद्धति से स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा सेमेस्टर पद्धति से द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण/पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को नियमित प्रवेश प्राप्त करने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के शेष प्रश्न -पत्र, प्रायोगिक कार्य, व्यावसायिक विषय तथा फील्ड प्रोजेक्ट/इंटरनशिप/एप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी एंगेजमेंट एण्ड सर्विस आदि विषयों की परीक्षाओं को प्रवेशित कक्षा की परीक्षा के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी को नवीन पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने होंगे।

3. सेमेस्टर/वार्षिक की पुरानी पद्धति से उत्तीर्ण विद्यार्थी को ग्रेड प्रदान करने के लिए क्रमशः परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार समतुल्यता निर्धारित की जाए जिससे उनका परीक्षा परिणाम समान रूप से तैयार किया जा सके। क्रेडिट गणना के लिए अध्यादेश क्रमांक 14ए के अंतर्गत स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु गणना पत्रक परिशिष्ट-1 अनुसार तथा अध्यादेश क्रमांक 14 बी के अंतर्गत स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु गणना पत्रक परिशिष्ट-2 अनुसार होगा।

4. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के यू.टी.डी., राज्य विश्वविद्यालय के यू.टी.डी. तथा स्वशासी महाविद्यालय के उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पात्रता/समतुल्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नियमित शिक्षण/ स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में पात्र होंगे। इन विद्यार्थियों पर उपरोक्त सरल क्रमांक-1,2,3 अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय


भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक /88/सी.सी./22 /38

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
2. विशेष सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।

2021


27/12/22

3. विशेष सहायक, प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल ।
 4. निज सहायक, कुलपति, समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
 5. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल
 6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
 7. वि.क.अ.आई.टी.सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल ।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

Rm
27/12/22

अध्यादेश क्रमांक 14A के अन्तर्गत स्नातक तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में
प्रवेशित विद्यार्थी हेतु गणना पत्रक
(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से पूर्व में लागू प्रणाली से उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु)

क्र.	विषय	क्रेडिट की गणना		अंकों की गणना
		सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों की कुल संख्या	क्रेडिट मान	
1.	मुख्य	<ul style="list-style-type: none"> 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक 	6 (4+2)	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
2.	गौण	<ul style="list-style-type: none"> 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक 	6 (4+2)	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
3.	सामान्य वैकल्पिक	<ul style="list-style-type: none"> 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 1 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक 	4 (3+1)	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
4.	आधार पाठ्यक्रम*	3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र	4	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
5.	व्यावसायिक विषय **	प्रावधानित नहीं	4	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी

नोट :-

- फील्ड प्रोजेक्ट / परियोजना कार्य/ इंटर्नशिप / एप्रेन्टिसशिप एवं कम्यूनिटी एंगेजमेंट द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रावधानित नहीं है।
- * प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर
- ** तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर

Rm
27/12/22

अध्यादेश क्रमांक 14B के अन्तर्गत स्नातक द्वितीय / तृतीय वर्ष में
प्रवेशित विद्यार्थी हेतु गणना पत्रक
(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से पूर्व में लागू प्रणाली से उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु)

क्र.	विषय	क्रेडिट की गणना		अंकों की गणना
		प्रश्न पत्रों की कुल संख्या	क्रेडिट मान	
1.	मुख्य	<ul style="list-style-type: none"> • 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र • 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक • 3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक 	12 12 12	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
2.	गोण / वैकल्पिक	<ul style="list-style-type: none"> • 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र • 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक • 3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं 1 प्रायोगिक 	6 6 6	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
3.	आधार पाठ्यक्रम	3 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र	8	प्राप्तांकों की आनुपातिक गणना 100 अंकों के समतुल्य मानकर की जाएगी
4.	व्यावसायिक विषय	4 क्रेडिट (पूर्व प्रणाली में प्रावधानित नहीं)		विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में दो व्यावसायिक विषयों का अध्ययन करेंगे
5.	फील्ड प्रोजेक्ट / परियोजना कार्य/ इंटरशिप/ एप्रेंटिसशिप/ कम्यूनिटी एंगेजमेंट	4 क्रेडिट (पूर्व प्रणाली में प्रावधानित नहीं)		विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में इनमें से किन्हीं दो (फील्ड प्रोजेक्ट / परियोजना कार्य / इंटरशिप / एप्रेंटिसशिप / कम्यूनिटी एंगेजमेंट) का अध्ययन पूर्ण करेंगे

Rm
27/12/22